कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पत्रांकः– 2355/ 33–1 ,दिनांक, महोबा, जनवरी, 06, 2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
चित्रकूटधाम वृत्त,
उ0प्र0, बाँदा।

विषयः– उ0प्र0 जल निगम द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत सलईया–नाथूपुरा, लहचुरा–काशीपुरा, धवर्रा–सिजवाहा, शिवहर एवं कबरई ग्राम समूह पेयजल योजना में पेय जल पाइप लाइन बिछाने हेतु जिला–महोबा में प्रभावित 12.4869 हे0 संरक्षित एवं 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 14.4534 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 375 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक–2244/11–सी–FP/UP/water/150368/2021, दिनांक 03.01.2023.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के संदर्भित पत्र द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव में 03 बिन्दुओं पर मांगी गयी कमियाँ/अभिलेखों के निस्तारण हेतु आख्या निम्नानुसार आपको 4 प्रतियों में प्रेषित है–

बिन्दु संख्या	कमियों का उल्लेख	कमियों का निराकरण
1.	प्रकरण में प्रभावित 1.9665 हे0 आरक्षित वनभूमि	दिये गये निर्देशानुसार प्रस्ताव संलग्न है।
2.	5.5556 हे0 संरक्षित वनभूमि, (जोकि पूर्व में हस्तान्तरित/डायवर्ट नहीं है।	5.5556 हे0 संरक्षित वन भूमि (जो कि पूर्व में हस्तान्तरित/डायवट नहीं है) के सापेक्ष दुगुने क्षे0 11.1112 हे0 अथवा 11.50 हे0+0.50 हे0 कुल 12.00 हे0 अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण मय अनुवर्ती दस वर्षो के अनुसार सहित संलग्न है। साथ ही सी0ए0 के उपयुक्तता प्रमाण–पत्र, जियो रिफरेन्स मैप, टोपोशीट एवं के0एम0एल0 फाइल ऑन लाईन भाग–2 में यथा स्थान अपलोड की गयी है।
3.	पूर्व में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत हस्तान्तरित/डायवर्ट क्षेत्र 6.9313 हे0 संरक्षित वनभूमि	पूर्व में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत हस्तान्तरित/डायवर्ट क्षेत्र 6.9313 हे0 संरक्षित वन भूमि में बाधक कुल 13 वृक्षों के दस गुना 130 वृक्षों का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त बिन्दु संख्या–2 में अंकित प्राक्कलन में ही सम्मिलित करते हुये कुल 12.00 हे0 का क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन तैयार करते हुये बिन्दु संख्या–3 में दिये गये निर्देशों का भी अनुपालन किया गया है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार चार प्रतियों में।

भवदीय,

(डॉ0 नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।

पृष्ठांकन संख्या————/अ/सम् दिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ0 नरेन्द्र सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
महोबा वन प्रभाग, महोबा।